

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

नोटिस

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में पुराने लोहे,टीन,कुर्सी-बैच, एल्यूमीनियम, लकड़ी, पीव्हीसी स्क्रैप, वाहन के टायर आदि जहां है जैसा है के आधार पर सार्वजनिक नीलामी की जानी है । जिस हेतु टोकन राशि रूपये 25,000 /-का डीडी दिनांक 22 / 09 / 2022 को शाम 04:00 बजे तक रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के नाम से तैयार कर लेखा अनुभाग के कैशियर के पास जमा करना होगा । उक्त नीलामी दिनांक 24 / 09 / 2022 को दिन शनिवार, दोपहर 12:00..बजे प्रशासनिक / मुख्य भवन में उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं । जिस बैंक का डीडी टोकन राशि हेतु जमा किया गया है उसी बैंक का ही डीडी नीलाम सामग्री की पूर्ण राशि जमा करते समय मान्य होगा । प्रथम,द्वितीय, तृतीय बोलीकर्ताओं के अतिरिक्त डीडी दिनांक 29.09.2022 को वापिस किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त पुराने एसी, गीजर, विण्डो कूलर, पंप एवं अन्य अनुपयोगी विद्युत सामग्री की नीलामी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत बोलीकर्ताओं से ई-वेस्ट केटगरी के अंतर्गत कराया जावेगा ।

सही / -

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्टार (प्रशासन)